प्रकरण संख्या 35/2019 कल्याणसिंह बनाम मदनसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.10.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के संयुक्त खातेदारी की आराजियात ग्राम कुन्दवा, तहसील देवगढ़ में स्थित है, जिसके खाता संख्या 93/84 होकर आराजी नंबर 178 से 181, 342, 345, 500, 509, 607, 619 से 622, 624 से 626, 635 कुल किता 18 रकबा 56 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त आराजियात का अभी विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। वादी के पिता फतहसिंह जी ने अपने जीवनकाल में दिनांक 01.11.1993 को विवादित आराजियात का बंटवारा कर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को 1/4, 1/4 हिस्सा देकर कब्जा सिपुर्द कर दिया, तब से पक्षकारान इसी अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। माफिक बंटवारे अनुसार पक्षकारान के हिस्से में जो भूमि रखी गयी उसका विवरण वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार है। मुझ वादी के सटमा प्रतिवादी संख्या 3 की भूमि आने से आये दिन सीमा को लेकर विवाद होता है। अतः विवादित भूमि का पूर्व में हुए माफिक बंटवारे अनुसार विवादित किया जाकर वादी का 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 29.06.2018 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 03.06.2019 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 11.09.2019 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री अमरसिंह सिसोदिया उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से पैराकार सरकार उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली [illegible] की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अभिभाषक [illegible] दफा 5 [illegible] मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर [illegible]दन किया कि अ[illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:02:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री से पहले अपीलान्ट को नहीं सुना गया, जिससे उसे अंतिम डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 29.08.2019 को नकले प्राप्त होने पर उक्त डिक्री की जानकारी हुई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपील 60 दिन विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। विलम्ब का कारण यह बताया कि अंतिम डिक्री की जानकारी पटवारी हल्का से प्राप्त हुई जब राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन किया गया, किन्तु पटवारी हल्का से जानकारी प्राप्त होने की कोई दिनांक अंकित नहीं की। अतः अपील बेरून मयान होने इसी स्तर पर खारिज की जावे।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में बहुत अधिक विलम्ब नहीं हुआ है। अतः न्यायहित में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपने वाद में कथन किया है कि फतहसिंह जी ने अपने जीवनकाल में दिनांक 01.11.2023 को सबकी मौजूदगी में चारों भाईयों के मध्य विभाजन कर दिया, किन्तु अपने इस कथन के सन्दर्भ में कोई शहादत प्रस्तुत नहीं करने के कारण अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में दिनांक 29.06.2018 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जो अंतिम एवं बाध्यकारी हो गयी। दिनांक 16.08.2018 से 29.05.2019 तक रूटीन में पेशियां चलती रही एवं अगली पेशी पर बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने के आधार पर उसे रेकार्ड पर लेकर उसी दिन अंतिम डिक्री जारी कर दी, जबकि उक्त दिनांक को अपीलान्ट उपस्थित नहीं थे। अपीलान्ट को प्रोपर तामिल नहीं हुई है। विभाजन प्रस्ताव कार्यालय में बैठकर बनाया गया है, तहसीलदार मौके पर नहीं गये। विभाजन मीट्स एण्ड बाउण्ड्स नहीं किया गया है। विभाजन प्रस्ताव के लिए अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गयी है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व [illegible] निरस्त फरमायी जावे तथा उसके आधार पर [illegible] 842 दिनांक 21.08.2019 निरस्त किया जावे। [illegible] कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2023 (1) Page [illegible], RRT 2023 (1) Page 466,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:02:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 35/2019 कल्याणसिंह बनाम मदनसिंह व अन्य

RRT 2023 (1) Page 585 प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री के अनुसरण में ही अंतिम डिक्री जारी की है, जबकि अपीलान्ट द्वारा प्रारम्भिक डिक्री को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है। वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 दिनांक 01.11.93 को हुए आपसी समझौते अनुसार अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही हो जाने से उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं हुआ है तथा फर्द बंटवारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया है, जबकि अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक नजीरों अनुसार तहसीलदार स्वयं को मौके पर जाकर फर्द बंटवारा तैयार करना चाहिए। तद्नुसार उक्त फर्द बंटवारे के आधार पर जारी अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अंतिम डिक्री दिनांक 03.06.2019 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर पक्षकारान की उपस्थिति में फर्द बंटवारा तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय यदि उक्त फर्द बंटवारे पर किसी पक्षकार को कोई आपत्ति है तो उसका निराकरण करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित कर अंतिम डिक्री जारी करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.12.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:02:03 IST
Reason: SelfAttested

(… सिंह सांगावत)
… अधिकारी
एवं पदे… जस्व अपील अधिकारी
उदयपुर